न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 03/2013

प्रार्थीः– बनाम अप्रार्थीगण :–

श्री रतनसिंह देवडा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

1 श्री प्रेम नागौरी पुत्र नटवरलाल जाति माहेश्वरी (विक्रेता एवं मालिक) मैसस सालासर ट्रेडिंग कम्पनी ए.डी./24 शिवाजी नगर, आई.टी.आई. रोड, पाली
2 श्री नथमल पारीक निवासी गांव काकरा नोखा बीकानेर (निर्माता एंव पार्टनर) जरिये फर्म मैसर्स कुबेर डेयरी, फूड प्रोडक्टस, जी. 183, द्वितीय फेस, करणी इड एरिया बीकानेर
3 श्री महादेव लाहोटी, निवासी गांव काकरा नोखा बीकानेर (निर्माता एंव पार्टनर) जरिये फर्म मैसर्स कुबेर डेयरी, फूड प्रोडक्टस, जी. 183, द्वितीय फेस, करणी इड एरिया बीकानेर
4 मै. कुबेर डेयरी, फूड प्रोडक्टस, जी. 183, द्वितीय फेस करणी इड एरिया बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री नवरतन अग्रवाल, विद्धान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 22/02/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 30.01.2012 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से घी (कुबेर) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी (कुबेर) को चार भागों में कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नमबर आर–128 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मोका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त घी मेसर्स कुबेर डेयरी फूड प्रोडक्टस, जी. 183, द्वितीय फेस, करणी इड एरिया बीकानेर से क्रय किया जाना बताया। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (कुबेर) को Sub-Standard का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अमानक स्तर के घी (कुबेर) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा मानक स्तरीय खाद्य पदार्थो का विर्निमाण एवं विक्रय किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि किसी प्रकार की त्रुटी हो गई हो, तो उसके सुधार किया जावेगा। यह अप्रार्थी का प्रथम जुर्म है, जो अत्याधुनिक संसाधनों के अभाव के कारण हुआ है, जिसमें अप्रार्थी दोषी नहीं हैं। अतः अप्रार्थीगण पर न्यूनतम जुर्माना आधिरोपित कराने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.01.2012 को अप्रार्थी की फर्म से घी (कुबेर) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–128 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./76/एक्ट/2012/77 दिनांक 09.02.2012 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–128 को अमानक स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक खाद्य वस्तु का विर्निमाण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक पर 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये कुल 45,000/– अक्षरे पैंतालिस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली